✓ (1)

संख्या- 4172 /सैंतीस-2-~~2016~~ 2015-1(67)/12

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
(प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 12 अप्रैल, 2016

विषयः-कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु पशुपालन, बैंक एवं राज्य सरकार (द्वारा-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी) के बीच त्रिपक्षीय अनुबन्ध के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-458/प0-2/36(21)प्रो0पत्रा0/2015-16 दिनांक-10.09.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध का प्रारूप तथा संशोधित अधिसूचना संख्या-44/सात-जी0सी0 न्याय-1-2016 दिनांक-06.04.2016 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव ।

2651/का0का0/13/4/16
अ0नि0 (प्रा0वि0)
12.04.2016

13/4
पु0अ0
पशुध0-2
13/4/16

कामधेनु डेयरी योजना (100 दुधारू पशुओं की ब्याज मुक्त ऋण योजना) हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

यह अनुबन्ध वर्ष .... के माह .... की तिथि को श्री .... पुत्र.............................निवासी ग्राम/पो0/जिला.......................... जिन्हें एतद्पश्चात "**लाभार्थी** " कहा गया है, प्रथम पक्ष एवं

श्री................ शाखा प्रबन्धक (बैंक का नाम) ....(.शाखा का नाम)............. ... जनपद का नाम...................... जिन्हें एतद्पश्चात "**बैंक**" कहा गया है, द्वितीय पक्ष तथा

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा श्री ....उत्तर प्रदेश शासन, जिन्हे एतदपश्चात "**राज्य सरकार**" कहा गया है, तृतीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थी का चयन बैंक से ऋण स्वीकृति हेतु किया गया है,

यह कि लाभार्थी ने कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत डेयरी को स्थापित करने हेतु रू0 91.14 लाख का ऋण बैंक से स्वीकृत करा लिया है।

अतः शासनादेश सं058/2015/1985/सैंतीस–2–2015–1(67)/2012 दिनॉक 17.08.2015 एवं सपठित शासनादेश संख्या–6/2016/4172/ सैंतीस–2–2015–1(67)/2012, दिनॉक 27.01.2016 के प्रस्तर–7 के अर्न्तगत राज्य सरकार, बैंक एवं लाभार्थी के मध्य यह अनुबन्ध निम्न शर्तो के अधीन किया जा रहा है:–

1. यह कि लाभार्थी द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के पश्चात् योजना की कुल लागत रू0 121.52 लाख की 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 30.38 लाख मार्जिन मनी से पशु गृह का शीध्र निर्माण कराकर पशु क्रय करने हेतु बैंक से प्रथम किश्त अवमुक्त करायेगें, तथा उक्त धनराशि से एक माह में नोडल पशु चिकित्साधिकारी की देख रेख में पशु क्रय करके उपभोग प्रमाण पत्र बैंक को प्रेषित करेगे। तत्पश्चात् 6 माह के अन्दर पुनः पशु क्रय करने हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त बैंक से प्राप्त कर द्वितीय किश्त प्राप्ति के एक माह के अन्दर मानक के अनुरूप नोडल पशुचिकित्साधिकारी की देख रेख में क्रय करके डेयरी इकाई में पशुओं की संख्या पूर्ण करेगे। इस प्रकार लाभार्थी ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण की धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त कराकर अधिकतम 8 माह में निश्चित रूप से डेयरी की निर्धारित पशु संख्या–100 (एक सौ) पूर्ण करेगा।
2. बैंक द्वारा लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत न्यूनतम मार्जिन मनी की धनराशि रू030.38लाख (रू0तीस लाख अड़तीस हजार) मात्र से पशु गृह का निर्माण पूर्ण कराने के पश्चात् पशु क्रय हेतु आधी धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। लाभार्थी द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने के पश्चात् उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 6 माह के अन्दर बैक द्वारा पशु क्रय करने हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त जारी की जायेगी। जिसका उपभोग लाभार्थी द्वारा प्रथम बार के अनुसार एक माह में पूर्ण करना होगा तथा इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या अधिकतम 8 माह में पूर्ण करनी होगी। लाभार्थी द्वारा दुधारू पशु का क्रय निर्धारित मानक के अनुरूप

(3)

प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा न्यूनतम मार्जिन मनी के रूप में जमा की गई धनराशि का उपभोग लाभार्थी द्वारा पशु गृह आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाये सुनिश्चित करने में किया गया है। मार्जिन मनी के उपभोग के पश्चात् ही ऋण के प्रथम किश्त की धनराशि बैंक द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

3. कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत स्थापित किये जाने वाले डेयरी के लाभार्थी द्वारा 100 दुधारु पशुओं का कय किया जायेगा। दुधारु पशुओं का कय नोडल पशुचिकित्साधिकारी की देख रेख में किया जायेगा, जिससे रोग रहित निर्धारित मानक के पशु ही क्रय किये जाये। लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष (60 माह) तक अधिकतम रू0 32.82 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। परन्तु यह कि यदि ब्याज दर 12 प्रतिशत से कम है, तो देय ब्याज की ही प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को की जायेगी। लाभार्थी द्वारा नियमित ऋण न अदा करने पर कामधेनु डेयरी योजनार्न्तगत प्राविधानित कुल ब्याज की पूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है,तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। भ्रान्ति के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु लाभार्थी द्वारा ब्याज के रुप में किये गये भुगतान की धनराशि अपने बैंक के शाखा प्रबन्धक से प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ब्याज का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में करेगें।

4. लाभार्थी द्वारा योजना के दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुधारू पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। लाभार्थी को छूट रहेगी की इकाई में समस्त गाय (एच0एफ0 क्रास, जर्सी क्रास अथवा साहीवाल) अथवा समस्त भैसे (मुर्रा) अथवा गाय एवं भैसों की मिश्रित इकाई स्थापित कर सकता है, किन्तु सभी गाय एक ही प्रजाति की रहेगी। कामधेनु डेयरी योजनार्न्तगत स्थापित डेयरी में कम से कम 12 लीटर दूध देने वाली गाय व कम से कम 10 लीटर दूध देने वाली भैस रखी जा सकेगी। लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये सभी पशुओं का 03 (तीन) वर्ष हेतु बीमा कराया जायेगा।

5. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में लाभार्थी निर्धारित 8 माह की अवधि में निर्धारित संख्या में, इकाई में, पशुओं का क्रय नही कर पाता है तो मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा पशु क्रय करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। फिर भी इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या की पूर्ति नही की जाती है तो उस स्थिति में योजना के अंतर्गत अनुमन्य ब्याज की प्रतिपूर्ति की सुविधा से लाभार्थी को वंचित कर दिया जायेगा तथा बैंक के ऋण वितरण की प्रथम किस्त की तिथि से राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए लाभार्थी को दी जा चुकी है, उसकी वसूली लाभार्थी से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

(५)

6. यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, तथा जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

7. इस अनुबन्ध विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

उर्पयुक्त के साक्ष्य में श्री..............................पुत्र श्री.................................... निवासी....................................एवं श्री .... पदनाम, बैंक का नाम, जनपद तथा श्री.............................उत्तर प्रदेश सरकार में ऊपर अकिंत तिथि, माह एवं वर्ष में हस्ताक्षारित किये है।

लाभार्थी	बैंक की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ह0...........	ह0...........	ह0......
नाम..........	नाम..........	नाम....
पिता का नाम.........	पद नाम.............	पद नाम..........
पूरा पता.................	शाखा................	विभाग.............
जनपद.............	जनपद.............	

गवाहान :

ह0....................	ह0....................
1. नाम	1. नाम ....
2. पिता का नाम..........	2. पिता का नाम.........
3. पता............................	3. पता..........................

(8)

मिनी कामधेनु डेयरी योजना (50 दुधारू पशुओं की ब्याज मुक्त ऋण योजना) हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

यह अनुबन्ध वर्ष .... के माह .... की तिथि को श्री .... पुत्र............................निवासी ग्राम/पो0/जिला... जिन्हें एतद्पश्चात "**लाभार्थी** " कहा गया है, प्रथम पक्ष एवं

श्री................ शाखा प्रबन्धक (बैंक का नाम) ....(शाखा का नाम)............... ... जनपद का नाम...................... जिन्हें एतद्पश्चात "**बैंक**" कहा गया है, द्वितीय पक्ष तथा

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा श्री ....उत्तर प्रदेश शासन, जिन्हे एतदपश्चात "**राज्य सरकार**" कहा गया है, तृतीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि मिनी कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थी का चयन बैंक से ऋण स्वीकृति हेतु किया गया है,

यह कि लाभार्थी ने मिनी कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत डेयरी को स्थापित करने हेतु रू0 50.58 लाख का ऋण बैंक से स्वीकृत करा लिया है।

अतः शासनादेश सं058/2015/1985/सैंतीस–2–2015–1(67)/2012 दिनॉक–17.08.2015 एवं सपठित शासनादेश संख्या–6/2016/4172/सैंतीस–2–2015–1(67)/2012, दिनॉक 27.01.2016 के प्रस्तर–7 के अर्न्तगत राज्य सरकार, बैंक एवं लाभार्थी के मध्य यह अनुबन्ध निम्न शर्तो के अधीन किया जा रहा हैः–

1. यह कि लाभार्थी द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के पश्चात् योजना की कुल लागत रू0 50.58 लाख की 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 12.64 लाख मार्जिन मनी से पशु गृह का शीध्र निर्माण कराकर पशु क्रय करने हेतु बैंक से प्रथम किश्त अवमुक्त करायेगें, तथा उक्त धनराशि से एक माह में नोडल पशु चिकित्साधिकारी की देख रेख में पशु क्रय करके उपभोग प्रमाण पत्र बैंक को प्रेषित करेगे। तत्पश्चात् 6 माह के अन्दर पुनः पशु क्रय करने हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त बैंक से प्राप्त कर द्वितीय किश्त प्राप्ति के एक माह के अन्दर मानक के अनुरूप नोडल पशुचिकित्साधिकारी की देख रेख में क्रय करके डेयरी इकाई में पशुओं की संख्या पूर्ण करेगे। इस प्रकार लाभार्थी ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण की धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त कराकर अधिकतम 8 माह में निश्चित रूप से डेयरी की निर्धारित पशु संख्या–50 (पचास) पूर्ण करेगा।
2. बैंक द्वारा लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत न्यूनतम मार्जिन मनी की धनराशि रू0 12.65 लाख (रू0 बारह लाख पैंसठ हजार) मात्र से पशु गृह का निर्माण पूर्ण कराने के पश्चात् पशु क्रय हेतु आधी धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। लाभार्थी द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने के पश्चात् उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 6 माह के अन्दर बैक द्वारा पशु क्रय करने हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त जारी की जायेगी। जिसका उपभोग लाभार्थी द्वारा प्रथम बार के अनुसार एक माह में पूर्ण करना होगा तथा इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या अधिकतम

(6)

8 माह में पूर्ण करनी होगी। लाभार्थी द्वारा दुधारु पशु का क्रय निर्धारित मानक के अनुरूप प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा न्यूनतम मार्जिन मनी के रूप में जमा की गई धनराशि का उपभोग लाभार्थी द्वारा पशु गृह आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाये सुनिश्चित करने में किया गया है। मार्जिन मनी के उपभोग के पश्चात् ही ऋण के प्रथम किश्त की धनराशि बैंक द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

3. मिनी कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत स्थापित किये जाने वाले डेयरी के लाभार्थी द्वारा 50 दुधारु पशुओं का क्रय किया जायेगा। दुधारु पशुओं का क्रय नोडल पशुचिकित्साधिकारी की देख रेख में किया जायेगा, जिससे रोग रहित निर्धारित मानक के पशु ही क्रय किये जाये। लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष (60 माह) तक अधिकतम रू0 13.66 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। परन्तु यह कि यदि ब्याज दर 12 प्रतिशत से कम है, तो देय ब्याज की ही प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को की जायेगी। लाभार्थी द्वारा नियमित ऋण न अदा करने पर मिनी कामधेनु डेयरी योजनार्न्तगत प्राविधानित कुल ब्याज की पूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है,तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। भ्रान्ति के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु लाभार्थी द्वारा ब्याज के रुप में किये गये भुगतान की धनराशि अपने बैंक के शाखा प्रबन्धक से प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ब्याज का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में करेगें।

4. लाभार्थी द्वारा योजना के दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुधारू पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। लाभार्थी को छूट रहेगी की इकाई में समस्त गाय (एच0एफ0 क्रास, जर्सी क्रास अथवा साहीवाल) अथवा समस्त भैसे (मुर्रा) अथवा गाय एवं भैसों की मिश्रित इकाई स्थापित कर सकता है, किन्तु सभी गाय एक ही प्रजाति की रहेगी। मिनी कामधेनु डेयरी योजनार्न्तगत स्थापित डेयरी में कम से कम 12 लीटर दूध देने वाली गाय व कम से कम 10 लीटर दूध देने वाली भैस रखी जा सकेगी। लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये सभी पशुओं का 03 (तीन) वर्ष हेतु बीमा कराया जायेगा।

5. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में लाभार्थी निर्धारित 8 माह की अवधि में निर्धारित संख्या में, इकाई मे, पशुओं का क्रय नही कर पाता है तो मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा पशु क्रय करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। फिर भी इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या की पूर्ति नही की जाती है तो उस स्थिति में योजना के अंतर्गत अनुमन्य ब्याज की प्रतिपूर्ति की सुविधा से लाभार्थी को वंचित कर दिया जायेगा तथा बैंक के ऋण वितरण की प्रथम किस्त की तिथि से राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए लाभार्थी को दी जा चुकी है, उसकी वसूली लाभार्थी से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

6. यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, तथा जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

7. इस अनुबन्ध विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

उर्पयुक्त के साक्ष्य में श्री..............................पुत्र श्री.................................... निवासी....................................एवं श्री .... पदनाम, बैंक का नाम, जनपद तथा श्री.............................उत्तर प्रदेश सरकार में ऊपर अकिंत तिथि, माह एवं वर्ष में हस्ताक्षारित किये है।

लाभार्थी	बैंक की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ह0...........	ह0...........	ह0......
नाम..........	नाम..........	नाम....
पिता का नाम.........	पद नाम.............	पद नाम...........
पूरा पता.................	शाखा.................	विभाग.............
जनपद.............	जनपद.............	

गवाहान :

ह0....................	ह0....................
1. नाम	1. नाम ....
2. पिता का नाम..........	2. पिता का नाम.........
3. पता.............................	3. पता...........................

8

माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना (25 दुधारू पशुओं की ब्याज मुक्त ऋण योजना) हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

यह अनुबन्ध वर्ष .... के माह .... की तिथि को श्री .... पुत्र.............................निवासी ग्राम/पो0/जिला.......................... जिन्हें एतद्पश्चात "**लाभार्थी** " कहा गया है, प्रथम पक्ष एवं

श्री................ शाखा प्रबन्धक (बैंक का नाम) ....(.शाखा का नाम)................. जनपद का नाम...................... जिन्हें एतद्पश्चात "**बैंक**" कहा गया है, द्वितीय पक्ष तथा

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा श्री ....उत्तर प्रदेश शासन, जिन्हे एतदपश्चात "**राज्य सरकार**" कहा गया है, तृतीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थी का चयन बैंक से ऋण स्वीकृति हेतु किया गया है,

यह कि लाभार्थी ने माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना के अन्तर्गत डेयरी को स्थापित करने हेतु रू0 26.99 लाख का ऋण बैंक से स्वीकृत करा लिया है।

अतः शासनादेश सं058/2015/1985/सैंतीस–2–2015–1(67)/2012 दिनॉक 17.08.2015 एवं सपठित शासनादेश संख्या–6/2016/4172/सैंतीस–2–2015–1(67)/2012, दिनॉक 27.01.2016 के प्रस्तर–7 के अन्तर्गत राज्य सरकार, बैंक एवं लाभार्थी के मध्य यह अनुबन्ध निम्न शर्तो के अधीन किया जा रहा हैः–

1. यह कि लाभार्थी द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के पश्चात् योजना की कुल लागत रू0 26.99 लाख की 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 6.74 लाख मार्जिन मनी से पशु गृह का शीध्र निर्माण कराकर पशु क्रय करने हेतु बैंक से प्रथम किश्त अवमुक्त करायेगे, तथा उक्त धनराशि से एक माह में नोडल पशु चिकित्साधिकारी की देख रेख में पशु क्रय करके उपभोग प्रमाण पत्र बैंक को प्रेषित करेगे। तत्पश्चात् 6 माह के अन्दर पुनः पशु क्रय करने हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त बैंक से प्राप्त कर द्वितीय किश्त प्राप्ति के एक माह के अन्दर मानक के अनुरूप नोडल पशुचिकित्साधिकारी की देख रेख में क्रय करके डेयरी इकाई में पशुओं की संख्या पूर्ण करेगे। इस प्रकार लाभार्थी ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण की धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त कराकर अधिकतम 8 माह में निश्चित रूप से डेयरी की निर्धारित पशु संख्या–25 (पचीस) पूर्ण करेगा।
2. बैंक द्वारा लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत न्यूनतम मार्जिन मनी की धनराशि रू0 6.74 लाख (रू0 छः लाख चौहत्तर हजार) मात्र से पशु गृह का निर्माण पूर्ण कराने के पश्चात् पशु क्रय हेतु आधी धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। लाभार्थी द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने के पश्चात् उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 6 माह के अन्दर बैक द्वारा पशु क्रय करने हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त जारी की जायेगी। जिसका उपभोग लाभार्थी द्वारा प्रथम बार के अनुसार एक माह में पूर्ण करना होगा तथा इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या अधिकतम 8 माह में

पूर्ण करनी होगी। लाभार्थी द्वारा दुधारु पशु का क्रय निर्धारित मानक के अनुरूप प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा न्यूनतम मार्जिन मनी के रूप में जमा की गई धनराशि का उपभोग लाभार्थी द्वारा पशु गृह आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाये सुनिश्चित करने में किया गया है। मार्जिन मनी के उपभोग के पश्चात् ही ऋण के प्रथम किश्त की धनराशि बैंक द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

3. माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना के अर्न्तगत स्थापित किये जाने वाले डेयरी के लाभार्थी द्वारा 25 दुधारु पशुओं का क्रय किया जायेगा। दुधारु पशुओं का क्रय नोडल पशुचिकित्साधिकारी की देख रेख में किया जायेगा, जिससे रोग रहित निर्धारित मानक के पशु ही क्रय किये जाये। लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष (60 माह) तक अधिकतम रू0 7.29 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। परन्तु यह कि यदि ब्याज दर 12 प्रतिशत से कम है, तो देय ब्याज की ही प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को की जायेगी। लाभार्थी द्वारा नियमित ऋण न अदा करने पर माइक्रो कामधेनु डेयरी योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की पूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है,तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। भ्रान्ति के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु लाभार्थी द्वारा ब्याज के रुप में किये गये भुगतान की धनराशि अपने बैंक के शाखा प्रबन्धक से प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ब्याज का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में करेगें।

4. लाभार्थी द्वारा योजना के दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुधारू पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। लाभार्थी को छूट रहेगी की इकाई में समस्त गाय (एच0एफ0 क्रास, जर्सी क्रास अथवा साहीवाल) अथवा समस्त भैसे (मुर्रा) अथवा गाय एवं भैसों की मिश्रित इकाई स्थापित कर सकता है, किन्तु सभी गाय एक ही प्रजाति की रहेगी। माइक्रो कामधेनु डेयरी योजनान्तर्गत स्थापित डेयरी में कम से कम 12 लीटर दूध देने वाली गाय व कम से कम 10 लीटर दूध देने वाली भैस रखी जा सकेगी। लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये सभी पशुओं का 03 (तीन) वर्ष हेतु बीमा कराया जायेगा।

5. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में लाभार्थी निर्धारित 8 माह की अवधि में निर्धारित संख्या में, इकाई में, पशुओं का क्रय नही कर पाता है तो मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा पशु क्रय करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। फिर भी इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या की पूर्ति नही की जाती है तो उस स्थिति में योजना के अंतर्गत अनुमन्य ब्याज की प्रतिपूर्ति की सुविधा से लाभार्थी को वंचित कर दिया जायेगा तथा बैंक के ऋण वितरण की प्रथम किस्त की तिथि से राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए लाभार्थी को दी जा चुकी है, उसकी वसूली लाभार्थी से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

6. यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, तथा जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

7. इस अनुबन्ध विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

उर्पयुक्त के साक्ष्य में श्री..............................पुत्र श्री.................................... निवासी..................................एवं श्री .... पदनाम, बैंक का नाम, जनपद तथा श्री............................उत्तर प्रदेश सरकार में ऊपर अकिंत तिथि, माह एवं वर्ष में हस्ताक्षारित किये है।

लाभार्थी	बैंक की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ह0...........	ह0...........	ह0......
नाम.........	नाम.........	नाम....
पिता का नाम.........	पद नाम.............	पद नाम...........
पूरा पता................	शाखा................	विभाग.............
जनपद.............	जनपद.............	

गवाहान :

ह0...................	ह0...................
1. नाम	1. नाम ....
2. पिता का नाम..........	2. पिता का नाम.........
3. पता............................	3. पता..........................

(12)

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या 155 /सात-जी0सी0 न्याय-1-2016 /1(67)/2012
पशुधन अनुभाग-2
लखनऊ :: दिनांक 6 अप्रैल , 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1932/सात-अ0-न्या0-497-73, दिनांक 15 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, सारिणी में, मद 2 में कृषि और पशुधन विभाग से संबंधित प्रविष्टि (25) के पश्चात स्तम्भ 2 और 3 में निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2
26-कामधेनु/मिनी कामधेनु/माईक्रो कामधेनु डेयरी योजना के लिए त्रिपक्षीय अनुबन्ध	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा

आज्ञा से,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव, न्याय ।

(12)

Uttar Pradesh Shasan
Nyaya Anubhag-1 (High Court)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 44 /VII-G-C Nyaya -1-2016/1(67)2012 pashudhan anubhag-2 dated April 6, -2016

Notification
Miscellanious
No. 44 /VII-G-C. Nyaya-1-2016/1(67)2012
pashudhan anubhag-2
Dated Lucknow April 6, 2016

In exercise of the power under clause(1) of Article 299 of the Constitution of India read with section 21 of the General Clauses Act. 1897 (Act no. 10 of 1897) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1932/VII-A N-497-73 dated July 15, 1977 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the table in item 2 relating to Agriculture and Animal Husbandry Department after entry in column 2 and 3 after entry (25)the following entry shall columnwise be inserted, namely:-

2	3
Tripartite Agreement for Kamdhenu/Mini Kamdhenu/Micro Kamdhenu Dairy Yojana.	By the Chief Veterinary Officer

By Order,

(Abdul Shahid)
Pramukh Sachiv, Nyaya.